THE DEPUTY. MINTSTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER. IN THE MINIS TRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) to (f) The requisite information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Report of the Bach wat Wage Board

1847.,SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 370 given in the Rajya Sabha on the 4th November, 1988 and state:

(a) whether the Bachwat Wage Board have since submitted its final report;

(b) if so, the salient features of the report; and

(c) what is Government's decision thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER-IN THE MINIS TRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

दिल्ली में राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई की जा रही राशन की वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार

1848. **श्री रजनी रंजन साहू:** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राशन की दुकानों में उपलब्ध राशन की वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिन के संबंध में गत कुछ माह से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) दुकानदारों द्वारा कालाबाजारी किए जाने पर रोक लगाने हेतु क्या क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा लगातार शिकायतें किए जाने के बावजूद उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध उपभोक्ता वस्तुओं की नियमित आपूर्ति को बनाये रखने के कार्य में कोई सुधार न किए जाने के क्या कारण है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा): (क) भारतीय खाद्य निगम के तकनीकी कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करते हैं कि दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दी जाने वाली विशिष्ट खाद्य वस्तुएं विशिष्टियों के अनुसार हों। निगम के कर्मचारी भी सुपुदर्गी लेने से पूर्व गुणवत्ता की जांच करते हैं। उचित दर की दुकान के मालिकों को अपनी दुकानों पर प्रदर्शित करने के लिए विशिष्ट खाद्य वस्तुओं के सील बंद नमूने सप्लाई किए जाते हैं ताकि खाद्य कार्ड धारी खरीदी जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की सीलबंद नमूनों से तुलना कर सकें। तथापि, यदि उचित दर की दुकानों को कोई ऐसा स्टाक दे दिया जाता है, जो विशिष्टयों के अनुरूप नहीं है तो उचित दर के दुकानधारी सुपुदर्गी की प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर सर्किल अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो स्टॉक विशिष्टयों के अनुरूप नहीं होता है उसे शीघ्र बदल दिया जाता है।

(ख) सामान्य उपायों के अलावा, प्रशासन ने एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है, जो प्रातः 8 बजे से 9 बजे रात तक कार्य करता है। खाद्य कार्ड धारक कदाचार करने वाले उचित दर की दुकान के दुकान धारियों के विरूद्ध टेलीफोन से अथवा लिखित रूप में शिकायत कर सकते हैं। इन शिकायतों की जांच की जाती है और दोषी उचित दर की दुकान के दुकान धारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

(ग) दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम आमतौर पर उचित दर की दुकानों को नियत कार्यक्रम के अनुसार विशिष्ट खाद्य वस्तुओं (गेहूं, चावल तथा चीनी) की सुपुदर्गी करता है। इस संबंध में प्रगति की परिवीक्षा आयुक्त द्वारा पाक्षिक आधार पर तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन की जाती है। तथापि, इतने बड़े व विस्तुत इस कार्य में प्रचालन संबंधी समस्याओं के कारण कभी-कभी देरी हो ही जाती है।